आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Other Backward Bahujan Welfare Department (OBC, SEBC, VJNT and SBC Welfare)

# Dnyanjyoti Savitribai Phule Aadhar Yojana

उच्च शिक्षा ले रहे इतर पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति (ब और ड) तथा विशेष मागास वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सालाना राशि, जिन्हें सरकारी छात्रावास में जगह नहीं मिली। राशि सीधे बैंक खाते में आती है और भोजन, रहने तथा पढ़ाई के सामान के खर्च के लिए है।

## क्या मिल सकता है

सालाना राशि पढ़ाई की जगह पर निर्भर है: मुंबई, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड और नागपुर में 60,000 रुपये; संभागीय शहरों की बाकी क वर्ग महानगरपालिका में 51,000 रुपये; अन्य ज़िला मुख्यालयों में 43,000 रुपये; तहसील स्थानों पर 38,000 रुपये। राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में जाती है।

## किसके लिए है

उच्च शिक्षा ले रहे पात्र इतर पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति (ब और ड) तथा विशेष मागास वर्ग के विद्यार्थियों, जिन्हें सरकारी छात्रावास में प्रवेश नहीं मिला।

## मुख्य शर्तें

- विद्यार्थी महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
- विद्यार्थी इतर पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति (ब और ड) या विशेष मागास वर्ग का हो और उच्च शिक्षा ले रहा हो, पर उसे सरकारी छात्रावास में जगह न मिली हो।
- विद्यार्थी को बारहवीं में कम से कम 60% अंक मिले हों।
- माता-पिता की सालाना आय 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- योजना में 36 ज़िलों में प्रति ज़िला 600 के हिसाब से कुल 21600 लाभार्थियों की सीमा है।

## आवेदन कैसे करें

1. योजना पृष्ठ पर दी गई वेबसाइट hmas.mahait.org पर आवेदन करें।
2. आप पृष्ठ पर बताए अपने ज़िले के सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।

## स्थिति

चालू

**आधिकारिक स्रोत:** https://obcbahujankalyan.maharashtra.gov.in/scheme/%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%88/
**Labh Lo पेज:** https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mh-dnyanjyoti-savitribai-phule-aadhar-yojana/

**Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।**
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।